निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 माघ 1939 (श0)
(सं0 पटना 76) पटना, बृहस्पतिवार, 25 जनवरी 2018

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचना
25 जनवरी 2018

अधिसूचना संख्या 09/2018 – राज्य कर (दर)

एस०ओ० 137, दिनांक 25 जनवरी 2018— बिहार **माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) (एतश्मिन पश्चात जिसे ''उक्त अधिनियम'' से संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप धारा (3) के साथ पठित, बिहार राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर एतद द्वारा वाणिज्य कर विभाग की अधिसूचना संख्या** 45/2017-**राज्य कर** (**दर**), **दिनांक** 14 **नवम्बर**, 2017 **जिसे बिहार राजपत्र, असाधारण अंक, संख्या** 1064 **दिनांक** 14 **नवम्बर**, 2017 **में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा :-**

उक्त अधिसूचना में,

(1) सारणी में,-

(क) **क्रम संख्या 1 के समक्ष, -**

(i) **कॉलम (2) में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित जाएगा, यथा: -**

"सरकार द्वारा वित्त पोषित कोई अनुसंधान संस्थान या विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर या क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, जो चिकित्सालय से भिन्न हों"

(ii) **कॉलम 4 में, 'विज्ञान और अनुसंधान विभाग' शब्दों के स्थान पर 'विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;**

(ख) **क्रम संख्या 2 और 4 के समक्ष कॉलम (4) में,"विज्ञान और अनुसंधान विभाग" शब्दों के स्थान पर "विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;**

इस सारणी के बाद निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा :-

(2) सारणी के पश्चात, वर्तमान स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 के रूप में लिखा जाएगा और इस प्रकार लिखे गए स्पष्टीकरण 1 के पश्चात निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"स्पष्टीकरण 2 - इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए दी जाने वाली छूट भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 51/96-सीमा शुल्क, दिनांक 23 जुलाई, 1996, जिसे सा.का.नि. 303 (अ), दिनांक 23 जुलाई, 1996 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, की तर्ज पर ही होगी और यह 15 नवम्बर, 2017 से लागू होगी.

[(सं०सं०–बिक्री–कर / जीएसटी / विविध–21 / 2017(खंड–I)–09 Rate)]
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
प्रधान सचिव।

25 जनवरी 2018

एस०ओ० 137, 25 जनवरी 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०–बिक्री–कर / जीएसटी / विविध–21 / 2017(खंड–I)–09 Rate)]
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
प्रधान सचिव।

The 25th January 2018

Notification No. 9/2018-State Tax (Rate)

S.O. 137, dated **25th** Junary 2018— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as "the said Act") read with sub-section (3) of section 11 of the said Act, the Governor of Bihar, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , on the recommendations of the Council, makes the following amendments in the Commercial Taxes Department Notification No. 45/2017- State Tax (Rate), dated the 14th November, 2017, published in Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 1064, dated the 14th November, 2017, namely:-

In the said notification, -

(1) in the Table, -

(a) against serial number 1, -

(i) in column (2), for the entry, the following entry shall be substituted, namely: -

"Public funded research institution or a University or an Indian Institute of Technology or Indian Institute of Science, Bangalore or a Regional Engineering College, other than a hospital";

(ii) in column (4), for the words "Department of Scientific and Research", the words "Department of Scientific and Industrial Research", shall be substituted;

(b) against serial numbers 2 and 4, in column (4), for the words "Department of Scientific and Research", the words "Department of Scientific and Industrial Research", shall be substituted.

(2) after the Table, the existing *Explanation* shall be numbered as *Explanation* 1 thereof and after Explanation 1 as so numbered, the following *Explanation* shall be inserted, namely: -

"*Explanation* 2. - For the the purposes of this notification, exemption would be in line with the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 51/96- Customs, dated the 23rd July, 1996, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 303(E), dated the 23rd July, 1996 and is applicable with effect from the 15th November, 2017.".

[(File No. Bikri-kar/GST/Vividh-21 /2017(Part-I)-09 Rate)]
By the order of Governor of Bihar,
SUJATA CHATURVEDI,
Principal Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण) 76-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in